

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन—834002, Email-pccfedjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक— ५४७

राँची, दिनांक २५-०४-२०१८

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका।
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :— NGT कलकत्ता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरुद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमण्डल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे० वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी आउटडोर स्टेडियम राजभवन तथा पुलिस उप-महानिरीक्षक आवास के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :— वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, दुमका का पत्रांक 559 दिनांक 11.04.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 14.217 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु नियमितिकरण का प्रस्ताव Online तथा Hard copy की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव की पूर्ण जाँच के क्रम में निम्नांकित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है :—

1. प्रस्ताव के साथ F.R.A. 2006 के तहत उपायुक्त दुमका द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। साथ ही ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का GPS संलग्न है परन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार Georeferance Digital Plan in Shape फाईल में संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि पर निर्मित छात्रावास का Lay out Plan संलग्न नहीं है।
5. प्रस्तावित वनभूमि का Component-wise Break up संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ Part-II में वन प्रमण्डल पदाधिकारी दुमका द्वारा Violation की सूचना दी गई है। इस संबंध में दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई है, से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाय।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना संभव नहीं है, अतः प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस लौटाते हुए अनुरोध है कि त्रुटियों का निराकरण करते हुए पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही भविष्य में इस तरह के अधूरे प्रस्ताव कदापि इस कार्यालय में अग्रसारित नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

(Signature) 25.04.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

(Signature)
25. 4. 18